रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122020-223701 CG-DL-E-14122020-223701

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 627]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 14, 2020/अग्रहायण 23, 1942

No. 627]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 14, 2020/AGRAHAYANA 23, 1942

कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय

(प्रशिक्षण महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 10 दिसम्बर. 2020

सा.का.नि. 758(अ).—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रशिक्षण निदेशालय (महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम),भर्ती नियम, 1996, जहां तक उनका संबंध हिंदी अनुवादक के पद से है उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है,कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यालय में कर्मकार एकक में किनष्ट अनुवादक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रशिक्षण महानिदेशालय (महिला प्रशिक्षण), के किनष्ट अनुवादक समृह 'ख' पद,भर्ती नियम, 2019 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदसंख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स स्तर : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदिः-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- **4. निरर्हता –** वह व्यक्ति –
- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति अथवा जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है;या विवाह की संविदा की है अथवा

6101 GI/2020 (1)

(ख) जिसने अपने पति अथवा अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति— जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग अथवा प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
40	(2)	(2)			(2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कनिष्ठ	5* (2019)	साधारण	स्तर –6	लागू नहीं होता	अधिकतम 30 वर्ष
अनुवादक*	*कार्यभार के	केन्द्रीय सेवा	(35,400-		(केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय
*हिंदी अनुवादक	आधार पर	समूह 'ख'	1,12,400 रु.)		पर जारी अनुदेशों और नियमों
को कनिष्ठ	परिवर्तन किया	अराजपत्रित,			अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5
अनुवादक के रुप	जा सकता है	अननुसचिवीय			वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)
में पुनः नमोदिष्ट					टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने
					के लिए निर्णायक तारीख भारत के
					अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के
					लिए नियत की गई अंतिम तारीख
					होगी (न कि सिक्किम, जम्मू –कश्मीर
					राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल
					प्रदेश के लाहोल और स्पिती जिले
					तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड,
					अंडमान और निकोबार द्वीप या
					लक्षद्वीप के अभ्यर्थियो के लिए
					विहित की गई है)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी?	अवधि यदि	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी अथवा प्रोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक अर्हताएं: (क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी में मास्टर डिग्री।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

(7)	(8)	(9)	(10)
या			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या डिग्री स्तर पर परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री।			
या			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी भी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री जो हिंदी माध्यम से हो और स्नातक स्तर पर अंग्रेजी अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में रहा हो;			
या			
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी परीक्षा के रूप में उनमें से किसी विषय और अन्य विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी से भिन्न किसी विषय में मास्टर डिग्री।			
और			
(ख) हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र- पाठ्यक्रम; अथवा हिंदी से अंग्रेजी तथा विपर्ययेत (अंग्रेजी से हिंदी) में अनुवाद का केंद्रीय या राज्य सरकार के कार्यालय का दो वर्ष का अनुभव जिसमें भारत सरकार के उपक्रम का अनुभव भी शामिल हैं।			
टिप्पण 1-			
अनुभव संबधी (अर्हताएं) उन कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित व्यक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			
टिप्पण 2 –			
अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।			

उन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है ,तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	 विभागाध्यक्ष/संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय-अध्यक्ष; उप निदेशक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण महानिदेशालय, – सदस्य; अन्य मंत्रालय/उसी शहर में स्थित विभाग का समूह 'क' अधिकारी-सदस्य; प्रधानाचार्य या सहायक निदेशक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान (महिला प्रशिक्षण), प्रशिक्षण महानिदेशालय –सदस्य। 	लागू नहीं होता

[फा. सं. डीजीटी-ए-12017/1/2017/डब्ल्यूटी-पार्ट(3)]

नीलम शमी राव, महानिदेशक/अतिरिक्त सचिव

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(Directorate General of Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2020

- **G.S.R.** 758(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Training (Vocational Training Programme for Women), Recruitment Rules, 1996, in so far as they relate to the post of Hindi Translator, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Junior Translator in the workmen's unit, in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, in the office of Directorate General of Training, namely:-
- 1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Directorate General of Training (Women Training), Junior Translator, Group 'B' post, Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Noting in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, economically weaker section, ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Junior Translator* • Hindi Translator redesignated as Junior Translator	5*(2019) • Subject to variation depending on workload	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted, Non- Ministrerial.	Level-6 (Rs. 35,400-1,12,400).	Not Applicable

Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee.
(6)	(7)	(8)
Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto Five years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government on time to time.)	Essential Qualification:- (a) Masters Degree of recognized University in Hindi with English as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in English with Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of examination at the degree level;	Not applicable
Note:- The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Laddakh, Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep.	Or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, with Hindi medium and English as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; Or Masters degree of recognized University in any subject other than Hindi or English, with English medium and Hindi as a compulsory or elective subject or as the medium of an examination at the degree level; Or Masters degree of a recognized University in any subject other than Hindi or English, With Hindi and English as compulsory or elective subjects or either of the two as a medium examination and other as a compulsory or elective subject at degree level; And (b) Recognized Diploma or Certificate course in translation from Hindi to English and vice versa; or two years experience of translation work from Hindi to English and vice versa in Central or State Government office, including	
	Government of India Undertaking. Note:- 1 The qualification (s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to	

	I
be recorded in writing in the case of candidates belonging	
to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of	
selection the Competent Authority, is of the opinion that	
sufficient number of candidates from these communities	
possessing the requisite experience are not likely to be	
available to fill up the vacancies reserved for them.	
Note:- 2	
Qualifications are relaxable at the discretion of the	
Competent Authority, for reasons to be recorded in writing,	
in the case of candidates otherwise well qualified.	

Period of probation, if any	Method of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion deputation or absorption to be made.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion, Deputation or absorption to be made.	If Departmental promotion committee exist what is its composition.	Circumstances which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years	Direct Recruitment	Not Applicable	 Head of Department / Joint Director of Training, Directorate General of Training - Chairman. Deputy Director of Training - Member. Group 'A' officer of another/ Department located in the same City - Member. Principal or Assistant Director of Training, National Skill Training Institute (Women Training) Directorate General of Training - Member. 	Not applicable.

[F. No. DGT-A-12017/1/2017-WT-pt-(3)]

NEELAM SHAMI RAO, Director General/Addl. Secy.